



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ:आईआरडीएआई/कारपो.एजेंट/2019-20/03/01

20.03.2020

Ref: IRDAI/Corp Agents/2019-20/03/01

20.03.2020

प्रति/ To,

बीमा कंपनियों के सीईओ, कारपोरेट एजेंटों के सीएमडी
CEOs of insurance companies, CMDS of corporate agents

प्रतिलिपि / Copy to - एनएसईआईटी, आईआईआई / NSEIT, III

वैयक्तिक एजेंटों और एसपी के लिए आईआईआई के पास निर्धारित परीक्षाओं के 31/03/2020 तक पुनर्निर्धारण/ स्थगन के संबंध में परिपत्र
Circular regarding rescheduling/Postponement of exams for individual agents and SPs scheduled till 31/03/2020 with III

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त परामर्शिका- 'कोविड-19 बीमारी की व्याप्ति को देखते हुए सामाजिक दूरी के उपाय के संबंध में परामर्शिका' को ध्यान में रखते हुए हम बीमा कंपनियों के वैयक्तिक एजेंटों और कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अपनी आईसी-38 परीक्षाएँ स्थगित करने अथवा 31 मार्च 2020 के बाद पुनर्निर्धारित करने के लिए सलाह देते हैं।

Keeping in view the Advisory from the Ministry of Health and Family Welfare- 'Advisory on Social Distancing Measure in view of spread of COVID-19 disease, we may advise the individual agents of insurance companies and specified persons of corporate agents to postpone or reschedule their IC-38 exams after 31st March, 2020.

यह परामर्शिका सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

This Advisory is enclosed herewith for information.

क. जलोरा

सदस्य (जीवन) / Member (Life)